न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 90 / 2015

श्री मिट्टनलाल पुत्र श्री उदा जी आयु 60 साल जाति भांबी निवासी पीपलाज हाल निवासी बजरंग कॉलोनी छावनी लिंक रोड, ब्यावर

——————वादी

ब ना म

1— श्री लक्ष्मण पुत्र श्री मोतीलाल
2— श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नि लक्ष्मण जी
3— श्री प्रवीण पुत्र श्री लक्ष्मण जी
4— श्री विजय पुत्र श्री लक्ष्मण जी
सभी जाति भांबी निवासीयान ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला–अजमेर
5— श्रीमान् तहसीलदार साहब एंव लैण्ड होल्डर, मसूदा जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी
एंव सपठित धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 25.5.2018

सारांशतः वादी ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया है, कि ग्राम पीपलाज पटवार हल्का पीपलाज तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1535/3 रकबा 00—15—00 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार वादी है जिसका उपरोक्त आराजी पर एंकाकी कब्जा चला आ रहा है, उक्त विवादित आराजी नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 13.8.1997 के अनुसार वादी की बंटवारा अनुसार हिस्से में आई हुई है। वादग्रस्त आराजी की स्पष्ठ पत्थर गढी नही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हमेशा ही कमती बती को लेकर झगडा होता रहता है। प्रतिवादीगण ने वादी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के उत्तरी पश्चिमी कोने पर 8 बिस्वा भूमि पर आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व यानी दिनांक 10.11.2005 से नाजायज तरीके से चार दुकानो का पक्का निर्माण करवाकर नाजायज कब्जा कर बेचान व हस्तांतरण व गिरेबार करने पर आमादा है। विरोध स्वरूप प्रतिवादीगण ने हमेशा वादी को आश्वासन देता रहा है कि उपरोक्त नाजायज कब्जा को हटा लेंगे लेकिन वादी ब्यावर शहर में आकर रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 केवलमात्र वादी का आश्वसन देते रहते है। जिससे वादी को अपनी कृषि भूमि की पैदावार में प्रतिवर्ष 25,000/— रूपये का नुकसान हो रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को दिनांक 15.8.2015, 10.11.2015 को भी उपरोक्त वादी की उपरोक्त वादग्रस्त जो खातेदारी है जिस पर से कब्जा हटाने के लिये कहां तो प्रतिवादीगण आग बबूला हो और वादी को एलानिया धमकी दी कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी से चला जा नही तो उसे जान से खत्म कर देंगे इस कारण इस वाद की आवश्यकता हुइ अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है,कि वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध डिकी पारीत की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को विवादित भूमि के उत्तरी पश्चिमी कोने पर 8 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है उसे हटाया जावे उसका कब्जा वादी को संभलाया जावे तथा वादी को 25,000/— रूपये की सालाना की दर से मुआवजा दिलाया जावे कब्जा नही देने की सूरत में जरिये पुलिस इमदाद वादी को वादग्रस्त अराजीयात पर से कब्जा संभलाया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य उपरोक्त पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। उसका खर्चा वादी वहन करने के लिये तैयार है। तथा खर्चा भी प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नही करने के कारण उनके जवाबदावे का हक बंद किया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया है, कि उक्त विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है, किन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम नही है वादी व प्रतिवादी एक ही जाति के होकर विरासत से प्राप्त भूमि में बंटाइदार है, नक्शे में बंटवारे अनुसार तरमीम व मौके पर नाप होने पर ही कब्जे संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सकती है। बिना तरमीम कराये कब्जे की स्थिति नही हो सकती है।

राजस्व वाद संख्या 90 सन् 2015

श्री मिट्टनलाल बनाम श्री लक्ष्मण वगैरह

// 2 //

प्रकरण में वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के अनुसार अनुतोष सहित 3 तनकियात कायम की गई और शहादत में वादी ने 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाबदावे को ही साक्ष्य के रूप में माना जाकर पढे जाने का कथन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1— आया वादी विवादित आराजी के उत्तरी पश्चिमी कौने के 8 बिस्वा क्षैत्रफल पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने नायाजय कब्जा कर लिया है, उसे वाद हटवाकर कब्जा प्राप्ति एंव अतिक्रमण वर्ष से वाद निस्तारण तक प्रतिवादीगण से रूपये 25,000/— वार्षिक हर्जाना प्राप्ति का अधिकारी है? ——वादी

2— आया वादी की विवादित आराजी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की आराजी के राजस्व अभिलेख में बटानंबर से अलग अलग खसरा नंबरान कायम किये हुये लेकिन उनकी तरमीम राजस्व नक्शे में नही होने से विवादित आराजी का रकबा निश्चित किया जाना संभव नही है, तरमीम के अभाव में वाद निरस्तनीय है? — ——प्रतिवादी संख्या 5

3— अनुतोष?

उपरोक्त तनकी नंबर 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर है, वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्धारा विवादित भूमि के 8 बिस्वा पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण करने तथा पत्थर गढी करावाने का कथन किया है, उसके समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य अनुसार जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 1535/3 रकबा 00—15—00 वादी की खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार मसूदा द्धारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार भी विवादित भूमि वाद को विभाजन के अनुसार प्राप्त होना तथा खातेदारी में दर्ज होने का कथन किया है। जबकि मुआवजा दिलाने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने से उक्त प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर एंव दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उक्त तनकी नंबर 1 आंशिक रूप से वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नंबर 2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 पर उन्होने स्वंय ने अपने जवाबदावे में विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज होने कथन किया है, जबकि तनकी नंबर 1 वादी के हक में निर्णित की जा चुकी है, अतः उक्त तनकी नंबर 2 प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 3 चूंकि तनकी नंबर 1 लगायत 2 वादी के हक में निर्णित की जा चुकी है, अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पीपलाज पटवार हल्का पीपलाज तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1535/3 रकबा 00—15—00 भूमि में जो 8 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्धारा नाजायज कब्जा अतिक्रमण कर लिया है उसके विषय में उक्त भूमि की पत्थर गढी करवाई जाकर उसका कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश पारीत किया जाता है जिसका खर्चा वादी नियमानुसार तहसीलदार मसूदा के यहां जमा कराने के पश्चात तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना करे इस वाद का सम्पूर्ण हर्जा व खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 15:40:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: